राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–17/2020
कृष्णदेव ठाकुर बनाम् धुरपति देवी।

यह वाद श्री कृष्णदेव ठाकुर, पिता–श्री सुदर्शन ठाकुर, ग्राम+पो0–मानपुर, थाना–दिघवारा, जिला–सारण द्वारा श्रीमती धुरपति देवी, पति–श्री योगेन्द्र भगत, पता–वार्ड संख्या–06, दिघवारा नगर पंचायत, जिला–सारण तत्कालीन वार्ड सदस्य के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 के तहत निर्वाचन व्यय दाखिल नहीं करने पर सदस्यता रद्द करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री कृष्णदेव ठाकुर का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी धुरपति देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री राजू कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे ने वादी का पक्ष रखते हुए, आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमति धुरपति देवी, वार्ड पार्षद संख्या–06, नगर पंचायती दिघवारा, सारण द्वारा निर्वाचन व्यय विवरणी नगर पंचायत दिघवारा के कार्यालय में 30 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार नगरपालिका नियमावली–2007 नियम–100 एवं नियम–101 के तहत निरर्हित किए जाने योग्य है।

साक्ष्य स्वरूप निर्वाची पदाधिकारी, दिघवारा के पत्रांक–708, दिनांक–29.11.2017 का अवलोकन कराया गया, जिसमें कुल 90 अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा किए जाने तथा शेष 60 अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा–पंजी जमा नहीं किए जाने का उल्लेख है। जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची में क्रमांक–17 पर श्रीमति धुरपति देवी का नाम अंकित है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का कोई Locus standi नहीं बनता अर्थात् वह इस वाद को दायर करने हेतु वैधानिक रूप से उचित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वे न तो नगर पंचायत दिघवारा के मतदाता हैं और न ही नगर पंचायत दिघवारा के निवासी हैं। इसी प्रकार उन्होंने estoppels and latches अर्थात् मामले को तीन वर्षों के विलम्ब से आयोग के समक्ष लाने के आधार पर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा दिनांक–23.06.2017 को अपना निर्वाचन व्यय विवरणी जिला के संबद्ध प्राधिकारी को शपथ पत्र के साथ जमा करा दिया गया है जिसकी प्राप्ति उनके पास उपलब्ध है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उनके साथ निर्वाचन व्यय विवरणी दायर करने वाले दो अन्य वार्ड पार्षदों श्रीमती पूनम देवी एवं श्री ज्ञानेश्वर कुमार का नाम भी निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वालों की सूची में अंकित है, जबकि उक्त दोनों वार्ड पार्षदों के पास भी

निर्वाचन व्यय पंजी जमा करने की प्राप्ति उपलब्ध है। इस संबंध में उनके द्वारा जबाव के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके द्वारा आगे यह दावा किया गया कि यदि उनके मुवक्किल के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया तो वैधानिक प्रावधानों के तहत 30 दिनों के बाद उनकों नोटिस निर्गत क्यों नहीं की गई? उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आज तक कोई नोटिस उनके मुवक्किल को निर्गत नहीं की गई है। उनके द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम 101 के तहत नोटिस बोर्ड पर निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने वालों एवं जमा नहीं करने वालों की सूची आज तक नहीं चिपकाये जाने का मामला भी आयोग के संज्ञान में लाया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आयोग चाहे, तो उनके निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्ति की जांच कर सकता है। अंत में उनके द्वारा दावा किया गया कि वादी द्वारा निजी राग–द्वेष के कारण यह वाद लाया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौबे द्वारा प्रतिवादी के दिये गये तर्कों का जोरदार खण्डन किया गया। उनके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 18(2) के तहत कोई भी व्यक्ति या आयोग स्वतः संज्ञान के माध्यम से वाद दायर कर सकता है। उनके द्वारा आगे यह बताया गया कि उक्त नियमावली में वाद/परिवाद दायर करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। अतः जैसे ही मामले का संज्ञान हुआ आयोग के समक्ष वाद दायर किया गया। उनके द्वारा आगे यह बताया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 474 के तहत हर अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर दे। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि धुरपति देवी द्वारा आज तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा दिखाया जा रहा प्राप्ति एक जाली दस्तावेज है। उनके द्वारा दावा किया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक–2427 दिनांक–22.12.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि धुरपति देवी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है तथा जिला पदाधिकारी द्वारा उनपर विधि सम्मत काईवाई करने की अनुशंसा की गई है। अतः उनके द्वारा यह मांग की गई कि धुरपति देवी पर अविलम्ब बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 474 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–2427, दिनांक–22.12.2022, पत्रांक–1056, दिनांक–20.04.2021 एवं पत्रांक–1138, दिनांक–09.05.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि श्रीमति धुरपति देवी द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा पंजी जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण उनका नाम निर्वाचन लेखा पंजी जमा नहीं करने वाले की सूची के क्रमांक–17 पर अंकित है, परन्तु धुरपति देवी द्वारा दिनांक–23.06.2017 को निर्वाचन व्यय विवरणी शपथ–पत्र के साथ जमा किया गया है, परन्तु व्यय विवरणी की प्राप्ति निर्वाची पदाधिकारी

के कार्यालय में पदस्थापित तत्कालीन आशुलिपिक श्री कृष्णा प्रसाद द्वारा की गई है, जो वर्तमान समय में आयुक्त कार्यालय सारण (छपरा) में पदस्थापित है। श्री कृष्णा प्रसाद द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा व्यय पंजी प्राप्त की गई थी, जिसे निर्वाचन समाप्ति के उपरांत सभी अभिलेखों के साथ एक बॉक्स में बन्द कर नगर पंचायत दिघवारा को प्राप्त करा दिया गया था।

श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक के स्वीकारोक्ति के उपरांत भूमि सुधार, उपसमाहर्त्ता, सोनपुर के समक्ष उक्त बक्से को खोलकर देखा गया, जिसमें श्रीमति धुरपति देवी का व्यय पंजी नहीं पाया गया।

जिला पदाधिकारी,सारण द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक निर्वाचन व्यय लेखा विवरणी अभिलेख प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं थे।

6. आयोग द्वारा अधिवक्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/परिवाद का मूल कारण वादी श्री कृष्णदेव ठाकुर का यह दावा है कि प्रतिवादी श्रीमति धुरपति देवी तत्कालीन वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत–दिघवारा द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी को नियमानुसार उचित प्राधिकार के पास जमा नहीं कराना है।"

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी धुरपति देवी द्वारा ससमय निर्वाचन व्यय पंजी को उचित प्राधिकार(निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत, दिघवारा) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी/पदाधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि श्रीमती धुरपति देवी द्वारा निर्धारित तिथि तक निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं किया गया है, परन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत तत्समय कार्यालय में पदस्थापित आशुलिपिक, श्री कृष्णा प्रसाद के मिलिभगत से इसे कार्यालय में जमा कराने का प्रयास किया गया है, किन्तु तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा **इसे स्वीकार नहीं किया गया है** (जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) का पत्रांक–2427/पं0, दिनांक– 22.12.2022 एवं पत्रांक–1138/पं0, दिनांक–09.05.2022), क्योंकि न तो प्राप्ति विहित प्रपत्र में है और न ही इसे प्राधिकृत पदाधिकारी के पास जमा किया गया है। श्रीमती धुरपति देवी के निर्वाचन व्यय पंजी पर आशुलिपिक, श्री कृष्णा प्रसाद के लघु हस्ताक्षर पर अंकित तिथि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रविष्टि में इनके निर्वाचन व्यय पंजी के प्राप्ति तिथि का अंकित नहीं होना तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर के समक्ष संधारित किए गए बॉक्स को खोलने पर श्रीमती

धुरपति देवी का व्यय पंजी प्राप्त नहीं होना भी यह प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक के मिलीभगत से उनके द्वारा ऐसा प्रमाण गढ़ने का प्रयास किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सकें कि उनके द्वारा व्यय पंजी तो जमा किया गया है, परन्तु कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं करने पर नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि एक तरफ प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा अपना निर्वाचन व्यय पंजी श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक को जमा कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं करने पर नोटिस प्राप्त नहीं होने का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो न केवल परस्पर विरोधाभासी है, बल्कि इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 के तहत निर्वाचन व्यय विवरणी निर्वाचन परिणाम के घोषणा के 30 दिन के उपरांत जमा करने संबंधी प्रावधानों से भली–भाँति परिचित थी। साथ ही साथ यहाँ यह रेखांकित करना आवश्यक है कि ''कारण पृच्छा'' कार्रवाई से पूर्व अभ्यर्थी को नैसर्गिक न्याय के तहत दिया जाने वाला अंतिम अवसर नैसर्गिक न्याय के नियम के तहत है, जो उन्हें 30 दिनों के अन्दर विहित रीति से निर्वाचन व्यय जमा करने के वैधानिक प्रावधानों से मुक्ति प्रदान नहीं करता, वरन् उन्हें केवल यह सूचित करता है कि उनके विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 का अनुपालन नहीं करने के कारण कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, इस पर एवं इस संबंध में उनको क्या कहना है। यह आवश्यक नहीं कि उनके द्वारा दिए गए, जवाब से प्राधिकार उनपर होने वाली कार्रवाईयों से उन्हें विमुक्ति प्रदान करने हेतु बाध्य हो। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी को कार्रवाई किए जाने के पूर्व नोटिस निर्गत किया गया है तथा उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है, जो आयोग के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप है। उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 में इसी प्रकार के कारण पृच्छा का प्रावधान नहीं है। अतएव नोटिस प्राप्त नहीं होने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा नित्यानन्द सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य वाद C.W.J.C. No.11752/2017 के न्यायादेश दिनांक–12.10.2017 के प्रभावकारी अंश का संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नवत् है:–

"In such view of the matter, the Court would only observe that the mandate of law requires the State Election Commission to take action under Section 474 of the Act upon being satisfied in terms of Section 474 (a) and (b) of the Act. Such satisfaction can be based on either suo motu action or on verification of the records or from a report by the Returning Officer or the

District Returning Officer (Municipality) or even from any person. However, if any other person is moving before the State Election Commission, the same has to be based on materials on which action can be taken, including information obtained under Rule 101 (4) of the Rules."

विचाराधीन वाद में भी आयोग के समक्ष उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन एवं रेकर्ड के आधार पर बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावाली–2007 के संगत नियमों के अधीन ही निर्णय लिया जा रहा है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती धुरपति देवी के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(क) सह पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 के तहत निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निरर्हता अर्जित कर ली गई है, फलतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती धुरपति देवी को तत्काल प्रभाव से अगले तीन वर्षों तक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित किया जाता है।

(ख) श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक वर्तमान पदस्थापन प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, सारण (छपरा) द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त हुए, श्रीमती धुरपति देवी का निर्वाचन व्यय पंजी पर लघु हस्ताक्षर किया गया, जिसे यह प्रतीत हो सकें कि श्रीमती धुरपति देवी द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा किया गया है, जबकि निर्वाचन व्यय पंजी प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध है। इस प्रकार श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक का उक्त कृत्य बिहार सरकार के कर्मियों हेतु निर्धारित एवं अपेक्षित सत्यनिष्ठा के विपरीत है। अतः उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु प्रमाणित आरोप है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण को यह आदेश दिया जाता है कि श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्रवाई हेतु आरोप प्रपत्र–'क' गठित किया जाए तथा इनके पैतृक विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए, इसकी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराई जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–17/2020 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/2020 2315 पटना, दिनांक– 28.5.25

प्रतिलिपि–प्रमण्डलीय आयुक्त,**सारण** (छपरा)/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सारण(छपरा)**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सारण (छपरा)** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सारण(छपरा)** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी